>

Title: Regarding enactment of stringent laws against the persons who abandon their parents in old age homes.

श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने एक बहुत संवेदनशील मुद्दा उठाने जा रहा हूं । माता-पिता बच्चों को पाल-पोस कर बड़ा करते हैं और जब वे अपनी वृद्धावस्था में आते हैं तो उन्हें यह लगता है कि उनके बच्चे उनके बुढ़ापे का सहारा होंगे, उनके बुढ़ापे की लाठी होंगे और वे अपनी प्रॉपर्टी और सारे पैसे उन बच्चों के नाम कर देते हैं । लेकिन, वे बच्चे उन वृद्ध माता-पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं या वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं ।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय कानून मंत्री जी से निवेदन है कि इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाकर उन वृद्धों को सुरक्षित करने की कृपा करें ।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): महोदय, बिहार में इसके लिए जेल का प्रावधान है ।